

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम :- पंकज गढ़वाल ( आर0ए0एस0 )  
मिसल न0- 90/2021

अनवान :-

1. रामप्रताप पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

बनाम

सायल

1. गुडी पुत्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. मदनसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. रविन्द्र सिंह पुत्र बंगडावत सिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. रामकुंवर पत्नी बंगडावत सिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. शेरसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. सरोज पत्नी प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. भंवरी पुत्री हरू जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. रतना पुत्री हरू जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
11. विक्रम पुत्र प्रतापसिंह पुत्र हरू जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
12. लक्ष्मण सिंह पुत्र प्रतापसिंह पुत्र हरू जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

-गैरसायलान


प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज0  
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :- श्री महेश चन्द्र शर्मा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 11/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा 24 जेएसएन के खाता संख्या 136/42 की कुल 1.0120हैक भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090हैक भूमि गैरसायलान की शामिल खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। गैरसायल उक्त भूमि में सह काश्तकार है जो फोट हो चुका है जिसके जायज वारिसान 4, 6, 8, 12 है जिन्हे पक्षकार बनाया गया है।

सायल की कृषि भूमि चक 24 जेएसएन की कुल 1.0120हैक भूमि पर काबिज है लेकिन सायल को भूमि में आवागमन करने हेतु कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं है सायल के किला न0 6 की भूमि गैरसायल के किला न0 5/2 की चिपती भूमि है इसलिये सायल गांव से चलकर स्वीकृत रास्ता से होता हुआ गैरसायल की चक 24 जेएसएन के प0न0 316/402(34) के किला न0 5/2 की 0.2020हैक भूमि से मिन पूर्वी की 0.013हैक भूमि में से अपने खेत में प्रवेश करता है यह रास्ता सदामत से चालु है किन्तु  रिकार्ड में यह रास्ता दर्ज नहीं है।

सायल को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है यही सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है सायल गैरसायलान को प0न0 316/402(34) के किला न0 5/2 मीन की पूर्वी की 0.013हैक् रास्ता की भूमि के बदले में दुगनी किमत या इसके बदले में भूमि देने को तैयार है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090हैक् जो गैरसायलान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के प0न0 316/402(34) किला न0 5/2 के मीन पूर्वी की 0.013हैक् भूमि उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 12 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मौका रिपोर्ट शामिल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 24 जेएसएन के खाता संख्या 136/42 की कुल 1.0120हैक् भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090हैक् भूमि गैरसायलान की शामिल खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। गैरसायल उक्त भूमि में सह काश्तकार है जो फोट हो चुका है जिसके जायज वारिसान 4 ,6 ,8 ,12 है जिन्हे पक्षकार बनाया गया है।

सायल की कृषि भूमि चक 24 जेएसएन की कुल 1.0120हैक् भूमि पर काबिज है लेकिन सायल को भूमि में आवागमन करने हेतु कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं है सायल के किला न0 6 की भूमि गैरसायल के किला न0 5/2 की चिपती भूमि है इसलिये सायल गांव से चलकर स्वीकृत रास्ता से होता हुआ गैरसायल की चक 24 जेएसएन के प0न0 316/402(34) के किला न0 5/2 की 0.2020हैक् भूमि से मिन पूर्वी की 0.013हैक् भूमि में से अपने खेत में प्रवेश करता है यह रास्ता सदामत से चालु है किन्तु राजस्व रिकार्ड में यह रास्ता दर्ज नहीं है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त रास्ता स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

हमने वकील सायल की एकपक्षिय बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा 24 जेएसएन के खाता संख्या 136/42 की कुल 1.0120हैक् भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090हैक् भूमि गैरसायलान की शामिल खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल अपनी खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 24 जेएसएन में आने जाने के लिये रास्ता चाहता है।

प्रकरण में रामप्रताप सायल, गुडडी आदि गैरसायल से रास्ता चाहता है इसी प्रकार एक प्रकरण और विचाराधीन है जिसमें दुनीराम सायल, गुडडी आदि गैरसायलान से रास्ता चाहता है दोनो सायलान को इस प्रकार से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है जिससे गैरसायलान को भी नुकसान ना हो, गैरसायल गुडडी को रास्ते में जितनी भूमि आती है उससे दुगनी भूमि दिया जाना उचित है जिससे गैरसायल के हकों की सुरक्षा हो सके।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल की भूमि के प0न0 316/402(34) के किला न0 4/1, 5/1 में उत्तर की ओर स्वीकृत शुद्धा रास्ता है जिससे सायल की भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है सायल गैरसायल से मांगे हुए रास्ते से गै0मु0 खाला के पास पगडडी से अपने खेत में आवागमन करता है सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये इस पगडडी के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है यही रास्ता तथा तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के किला न0. 5/2 में रास्ता दिया जाना उचित है यही रास्ता सायल एवं गैरसायल के लिये उचित रहेगा।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्धा रास्ता से सायल की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतित होता है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतित होता है जिससे गैरसायलान को भी नुकसान नहीं हो रहा है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 24 जेएसएन के प0न0 316/402(34) के किला न0 5/2 मीन पूर्वी की 0.013हैक् भूमि उत्तर से दक्षिण तरफ ( खाला के पास ) रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायल रास्ता में जितनी भूमि आती है उसकी दुगनी भूमि गैरसायलान न0 1 ता 12 को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए प0न0 316/402(34) के किला न0 5/2 के चिपते हुए दक्षिण दिशा में पुर्व से पश्चिम (खाला की भूमि को छोड़ते हुए ) देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/3/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ॐ  
उपखण्डाधिकारी ( राजस्व )  
नोहर (हनुमानगढ)